



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 05.09.2023

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 01 अभियुक्त को 21 पक्के अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.09.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त जुल्फकार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक के थैले में 21 पक्के फाईटर गोल्ड अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 239' /23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. जुल्फकार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

एक प्लास्टिक के थैले में 21 पक्के फाईटर गोल्ड देशी शराब नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2-का0 887 विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.09.2023 को थाना किरतपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त धर्मपाल पुत्र बुद्धु सिंह निवासी ग्राम बढापुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 32 पाउच अवैध शराब (नाईट किंग मार्का) सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना



किरतपुर पर मु0अ0सं0 378/2023 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत बनाम धर्मपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

धर्मपाल पुत्र बुद्धु सिंह निवासी ग्राम बढापुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

32 पाउच अवैध शराब (नाईट किंग मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.कां0 538 उपेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1206 सुशील कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

थाना चांदपुर पुलिस व आबकारी टीम ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.09.2023 को थाना चांदपुर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा अभियुक्त ऋषिपाल पुत्र पनवा



निवासी ग्राम त्रिपुरा मडिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 638/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ऋषिपाल पुत्र पनवा निवासी ग्राम त्रिपुरा मडिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नितेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1588 राहुल कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. आबकारी मुख्य आरक्षी आसाराम।
4. आबकारी आरक्षी गौरव।
5. आबकारी आरक्षी गौरव कुमार।